राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली (राजस्थान)

विविध :: 36/ 2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मैट्रिक्स मॉल, तृतीय मंजिल, सेक्टर–4,जवाहर नगर जयपुर(राजस्थान)–302004		मैसर्स श्री मोहन मिनरल प्राईवेट लिमिटेड पताः– (1) गांव हुनावास खुर्द, तहसील जैतारण जिला पाली, राजस्थान–306302 (2) द्वितीय तल,भारतीय स्टेट बैंक शाखा जैतारण तहसील जैतारण, जिला पाली, राजस्थान–306303

निदेशक व जमानतदारः

1. श्री दामोदर लाल उपाध्याय पुत्र श्री मोहन लाल
   पताः 86, ब्राहम्णों का बास, गोपालद्वारा रोड़, जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली, राजस्थान–306302
2. श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री दामोदर लाल उपाध्याय
   पताः 86, ब्राहम्णों का बास, गोपालद्वारा रोड़, जैतारण तहसील जैतारण, जिला पाली, राजस्थान–306302
   जमानतदारः
3. श्री रामनारायण उपाध्याय पुत्र श्री राधे किशन उपाध्याय
   पताः वार्ड नं. 7, गोस्वामियों का मोहल्ला, जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली, राजस्थान–306302

जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

आदेश

दिनांक : 08/07/2020

प्रार्थी बैंक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रार्थी बैंक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि अप्रार्थी मैसर्स श्री मोहन मिनरल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक व जमानतदार संख्या 1 ऋणी तथा संख्या 2 सहऋणी है व संख्या 3 जमानती है। निदेशक व जमानतदार संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 22.07.2015 को 80,00,000/– (अक्षरे अस्सी लाख रूपये मात्र) अपनी वित्तिय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवेदन कर मोरगेज ऋण प्राप्त किया तथा ऋणी/जमानती ने उपरोक्त ऋण व उस पर देय ब्याज व खर्चों के लिए अपनी प्रतिभूतिस्वरुप (1) स्टॉक एवं सभी मौजूदा संपत्तियों वर्तमान एवं भविष्य का दृष्टिबंधक (2) बैंक द्वारा उधार सुविधा दी गई समस्त प्रकार की मशीनरी का दृष्टिबंधक के साथ ही अचल सम्पति जो मैसर्स जैतारण केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड(निदेशक श्री दामोदर लाल उपाध्याय) के नाम भूमि व भवन खसरा नं. 4/97, हुनावास खुर्द, जायल गरसिया जैतारण, तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित है। जिसके उत्तर में खसरा नं. 4/97, दक्षिण में खसरा नं. 4/97, पूर्व में 4/97 व पश्चिम में रोड़ स्थित है। व अन्य अचल सम्पति श्री दामोदर लाल उपाध्याय पुत्र श्री मोहनलाल के नाम भूमि एवं भवन (क्षेत्रफल 4075.00 वर्ग फीट) जो भारतीय स्टेट बैंक जैतारण शाखा भवन, बस स्टेण्ड के पास, पंचायत समिति रोड़ जैतारण में स्थित है। जिसके उत्तर में मुख्य सड़क, दक्षिण में मिश्री लाल (विक्रेतागण) का शेष भाग, पूर्व में गली व पश्चिम में श्रीमती शकुन्तला देवी है। अप्रार्थीगण के द्वारा [illegible] बंधक सृजन करने का पत्र आदि दस्तावेजात पर अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित [illegible] अप्रार्थीगण ने ऋण प्राप्त करने के पश्चात ऋणी/जमानती ने ऋण इकरा[illegible] संचालन नहीं किया, जबकि अप्रार्थीगण को अपने उपरोक्त ऋण [illegible] इकरारनामा के शर्तो के अनुरूप करना था। अप्रार्थीगण ने अपने स्वामित्व की सम्पति को प्रार्थी बैंक के पास जरिये Mo[illegible] by deposit of title deed के बंधक रखा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:28:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

क्रमश पृष्ठ :: 2

अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबन्ध शर्तो के अनुरूप उक्त खाते में लेनदेन नहीं किया एवं इकरारनामा की शर्तो के अनुरूप देय राशि व ब्याज का भुगतान नहीं किया, जो ऋण अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अप्रार्थीगण को उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 29.10.2019 को देकर बकाया राशि मय ब्याज के 55,91,923/– (अक्षरे पचपन लाख इकरानवे हजार नो सौ तेईस रूपये मात्र) के मांग हेतु नोटिस दिया गया।देय नोशनल ब्याज व खर्चों की मांग की गई लेकिन ऋणी ने प्रार्थी बैंक को देय समस्त राशि का भुगतान नोटिस देने के उपरान्त भी नियत अवधि में नहीं किया। अतः अप्रार्थीगण द्वारा इस ऋण के लिये बतौर प्रतिभूतिस्वरूप बंधक रखे गये स्वामित्व की सम्पतिं का कब्जा एवं इससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को भी प्रार्थी बैंक को दिलाया जावें।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी बैंक नें अप्रार्थीगण को अपनी वित्तिय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 80,00,000/– (अक्षरे अस्सी लाख रूपये मात्र) का ऋण दिया, उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेजात तैयार कर अपने हस्ताक्षर के प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये। प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार ऋण वसूली के लिये अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण ने बैंक को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय कनार्टक की रिट याचिका संख्या 9694/2005 सुनन्दा कुमारी वगैरा बनाम स्टेण्डर्ड चार्टड बैंक निर्णय दिनांक 23.03.2006 के अनुसार ऋणी को धारा 13 की उपधारा 2 के तहत नोटिस जारी किया जाने व तामिल के पश्चात मजिस्ट्रेट को धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनःऋणी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नही है। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पति को प्रार्थी के कब्जें में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं। जो इस प्रकार हैं :

14. **Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset -** (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him --

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto; and

(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पाली को भेजकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति स्वरूप अपने स्वामित्व की सम्पति जो ऊपर वर्णित हैं, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, को निर्देशित करें कि वे उक्त [illegible] कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी [illegible] को संभलाकर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की एक प्रति प्रार्थी बैंक को [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

आदेश सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:28:29 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

(अंश दीप)

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

जिला मजिस्ट्रेट, पाली